झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में सी0एम0पी0 संख्या—309/2019

डॉ0 तुषार कांत

..... याचिकाकर्त्ता

बनाम

- 1. झारखंड राज्य
- 2. सचिव, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची
- 3. निदेशक, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार, परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची
- 4. सिद्धो कान्हु मूर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अपने कुलपति के माध्यम से, दुमका, डाकघर एवं जिला—दुमका
- 5. कुलसचिव, सिद्धो कान्हु मूर्मू विश्वविद्यालय, दुमका, डाकघर एवं जिला–दुमका

..... उत्तरदातागण

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार

याचिकाकर्त्ता के लिए : मैसर्स अफाक अहमद, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिए : श्री अभय प्रकाश, अधिवक्ता

उत्तरदाता–विश्वविद्यालय के लिए : श्री मिथिलेश सिंह, अधिवक्ता

03 / 19.07.2019 पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

वर्तमान सी०एम०पी० को डब्ल्यू०पी० (एस०) सं० 6126 / 2011 में पारित दिनांक 04.02.2019 के आदेश के संशोधन के लिए दायर किया गया है।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि डब्ल्यू०पी० (एस०) सं० 6126/2011 में पारित दिनांक 04.02.2019 के आदेश के दूसरे पृष्ठ में अंतिम 2^{nd} पैरा में टाइपोग्राफिकल त्रुटि है, जहां '06.06.2019' के बजाय, '06.06.2003' टाइप किया गया है।

अतः इसे डब्ल्यू०पी० (एस०) सं० 6126/2011 में पारित आदेश दिनांक 04.02.2019 के आदेश के द्वितीय पृष्ट में 06.06.2003 के स्थान पर '06.06.2009' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

दिनांक 04.02.2019 के आदेश को इस सीमा तक जैसा कि उल्लिखित है, तक संशोधित किया गया है।

> इस आदेश को दिनांक 04.02.2019 के आदेश के साथ पढ़ा जाए। उपरोक्त संशोधन के साथ, वर्तमान सी०एम०पी० का निपटान किया जाता है।

> > (राजेश कुमार, न्याया0)

			۰ ر	٧.
झारखण्ड	उच्च	न्यायालय,	, राचा	म

सी0एम0पी0 संख्या-309/2019

डॉ0	तुषार कांत	 याचिकाकर्ता
	` ` ` · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

बनाम

- 1. झारखंड राज्य
- 2. सचिव, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगन्नाथपुर, जिला-रांची
- 3. निदेशक, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार, परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगन्नाथपुर, जिला-रांची
- 4. सिद्धो कान्हु मूर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अपने कुलपति के माध्यम से, दुमका, डाकघर एवं जिला-दुमका
- 5. कुलसचिव, सिद्धों कान्ह् मूर्मू विश्वविद्यालय, दुमका, डाकघर एवं जिला-दुमका

...... उत्तरदातागण

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार

याचिकाकर्ता के लिए: मैसर्स अफाक अहमद, अधिवक्ता

उत्तरदाता-राज्य के लिए: श्री अभय प्रकाश, अधिवक्ता

उत्तरदाता- विश्वविदयालय के लिए: श्री मिथिलेश सिंह, अधिवक्ता

03/19.07.2019पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को स्ना।

वर्तमान सी0एम0पी0 को डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 6126/2011 में पारित दिनांक 04.02.2019 के आदेश के संशोधन के लिए दायर किया गया है।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि डब्ल्यू०पी० (एस०) सं0 6126/2011 में पारित दिनांक 04.02.2019 के आदेश के दूसरे पृष्ठ में अंतिम 2nd पैरा में टाइपोग्राफिकल त्रुटि है, जहां '06.06.2019' के बजाय, '06.06.2003' टाइप किया गया है।

अतः इसे डब्ल्यू०पी० (एस०) सं० 6126/2011 में पारित आदेश दिनांक 04.02.2019 के आदेश के द्वितीय पृष्ठ में 06.06.2003 के स्थान पर '06.06.2009' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

दिनांक 04.02.2019 के आदेश को इस सीमा तक जैसा कि उल्लिखित है, तक संशोधित किया गया है।

इस आदेश को दिनांक 04.02.2019 के आदेश के साथ पढ़ा जाए।

उपरोक्त संशोधन के साथ, वर्तमान सी0एम0पी0 का निपटान किया जाता है।

(राजेश कुमार, न्याया0)